

प्रेस नोट

थाना सिरसागंज पुलिस द्वारा ग्राम इन्दरगढ में हुई भैंस चोरी व हत्या के प्रयास का सफल
अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार कब्जे से 7000 रूपये मय मैक्स
पिकअप सम्बन्धित मु0अ0सं0 814/20 धारा 379/307 भादवि बरामद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक सिरसागंज मय फोर्स द्वारा सर्द मौसम में गाँव के बाहरी छोर पर बने मकानों व घेरों (बाडा) से रात्रि में भैंस चोरी तथा भैंस चोरी के दौरान बदमाशों द्वारा फायरिंग करने की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान के दौरान दिनांक 18/19.11.2020 की रात्रि में ग्राम इन्दरगढ से भैंस चोरी के दौरान अतेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र सिंह यादव नि0 इन्दरगढ थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी थी तथा भैंस को अभि0गण द्वारा आगरा में गुलशन नामक व्यक्ति को बेचना बताया है। उक्त घटना के अनावरण हेतु सोथरा चौराहा एनएच-2 पुल के पास से मुखबिर की सूचना पर अभि0 1-शाकिर पुत्र राजू नट, 2-शाहरुख पुत्र आशिक अली, 3-कालिया पुत्र आशिक अली निवासीगण नहर पुल भदान रेलवे स्टेशन के पास थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया गया है अभि0गण ने पूँछताछ पर दिनांक 18/19.11.2020 की रात्रि को हुई भैंस चोरी व गोली मारने की घटना का इकबाल किया है। घटना मे प्रयुक्त 01 अदद मैक्स पिक अप नं0 UP 83 T 7936 तथा 03 तमंचा 315 बोर मय 02 खोखा कारतूस व 05 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा दो अभियुक्त बौना व शाकिर अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गये। बरामदगी के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार शूदा अभियुक्त-

- 1-शाकिर पुत्र राजू नट निवासी नहर पुल भदान रेलवे स्टेशन के पास थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद।
- 2-शाहरुख पुत्र आशिक अली निवासी नहर पुल भदान रेलवे स्टेशन के पास थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद।
- 3-कालिया पुत्र आशिक अली निवासी नहर पुल भदान रेलवे स्टेशन के पास थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद।

अभि0गण से बरामदगी का विवरण

- 1- 03 तमन्चा देशी 315 बोर नाजायज 05 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 खोखा कारतूस नाजायज।
- 2- घटना में प्रयुक्त मैक्स पिक अप नं0 UP 83 T 7936।
- 3- भैंस बिक्री से प्राप्त नकदी 7000 रूपये।

अभियुक्त शाकिर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1-मु0अ0सं0 814/20 धारा 379/307 भादवि0 थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद
- 2-मु0अ0सं0 207/20 धारा 379/411 भादवि0 थाना एका जिला फिरोजाबाद
- 3-मु0अ0सं0 843/20 धारा 307 भादवि0 पु0मु0 थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद
- 4-मु0अ0सं0 844/20 धारा 3/25ए एक्ट थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद

अभियुक्त शाहरूख उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1-मु0अ0सं0 814/20 धारा 379/307 भादवि0 थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।
- 2-मु0अ0सं0 207/20 धारा 379/411 भादवि0 थाना एका जिला फिरोजाबाद ।
- 3-मु0अ0सं0 843/20 धारा 307 भादवि0 पु0मु0 थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।
- 4-मु0अ0सं0 845/20 धारा 3/25ए एक्ट थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।

अभियुक्त शाकिर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1-मु0अ0सं0 814/20 धारा 379/307 भादवि0 थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।
- 2-मु0अ0सं0 207/20 धारा 379/411 भादवि0 थाना एका जिला फिरोजाबाद ।
- 3-मु0अ0सं0 843/20 धारा 307 भादवि0 पु0मु0 थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।
- 4-मु0अ0सं0 845/20 धारा 3/25ए एक्ट थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्म0गणो के नाम:-

- 1.एसएचओ श्री गिरीशचन्द्र गौतम थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद
- 2-उ0नि0 श्री मुकेश शर्मा थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।
- 3— उ0नि0 श्री अंकित मलिक थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।
- 4—उ0नि0 श्री शाहिद अली थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।
- 5— का0 1015 विजय कुमार, का0 1321 परमानन्द, का0 1093 राधारमन, का0 1450 कुलदीप सिंह थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।